

अधिसूचना

14/8/20

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम रिठोनिया प०ह०क०-39 रा०नि० वृत्-02 तहसील -कैलारस उपखण्ड- कैलारस जिला-मुरैना में कुल 1.152 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- रिठोनिया प०ह०क०-39. रा०नि० कैलारस वृत्-02 तहसील-कैलारस उपखण्ड- कैलारस जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	कैलारस
ग. ग्राम	रिठोनिया
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.152 हेक्टेयर

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	74	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.500	सरवन लोडू मावसिया पि कुढेरी आनन्दी बतसिया पुत्रियां कुढेरी 1/2 समान जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मदनु पुत्र मंगलिया भूरी पुत्री मंगलिया 5/178 समान जाति काछी निवासी नेपरी मांगी पुत्र लुखरू दिवाईलाल होतम मूला पुत्रगण गनेशा हि० 84/178 जाति धोबी पता निवासी नैपरी भूमि स्वामी।
2	78/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.024	रामसिंह पुत्र मुरली जाति कोरी पता नि. ग्राम आंतरी शासकीय पटटेदार से भूमिस्वामी।
3	79/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.178	गोविन्द मुकन्दी कीरतराम पुत्रगण गिरबर बैकुण्ठी शीला पुत्रियां गिरबर जाति किरार पता निवासी ग्राम समान भाग शासकीय पटटेदार।

4	81	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.151	रामसिंह पुत्र मुरली जाति कोरी पता निवासी आंतरी भूमिस्वामी।
5	82/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.007	किन्ती पुत्री मुल्ला शान्ती पत्नी सुखचन्द जाति किरार पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।
6	82/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.188	कन्हैयालाल पुत्र पंचमसिंह हि 8572 वर्गफुट काछी निवासी सेठबारी सुरजेश कुमार पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी कीरतपुर हि 800 वर्गफुट राजेश पत्नी विजय सुधा पत्नी दिलीप हि 1600 वर्गफुट ब्रा 0 निवासी झटोरा नरेशचन्द्र पुत्र प्यारेलाल हि 800 वर्गफुट रामप्रकाश पुत्र हीरालाल हि 900 वर्गफुट जाति कोरी निवासी रिठोनिया रामप्रकाश पुत्र हीरालाल हि 900 वर्गफुट जाति कोली निवासी रिठोनिया शैलेन्द्र पुत्र मिश्रीलाल हि 1208 वर्गफुट वैश्य नि 0 जौरा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी दर्शन पुत्र रतीराम हि 17 आरे मोहरसिंह रघुबीर नरेश पुत्रगण छविराम हि 3/6 समान जसवन्त पुत्र जनबेद हि 1/6 मुन्ना पुत्र रामस्वरूप हि 2/6 दर भाग 6 आरे जाति बघेल मनीराम पुत्र गोपाल जाति धाकड़ सरवन पुत्र हीरालाल हि 1480 वर्गफुट धाकड़ गजाधरसिंह हि 1600 वर्गफुट बनवारी हि 800 वर्गफुट पुत्रगण पतिराम लाखनसिंह पुत्र विसराम हि 800 वर्गफुट जाति धाकड़ निवासी वस्तोली माया पत्नी गंगाराम जाति काछी पता निवासी ग्राम कैलारस 900 वर्गफुट भाग भूमिस्वामी कमला पत्नी सरवन हि 1000 वर्गफुट जाति जाटव निवासी बिचोली कमलेश पत्नी रामप्रसाद हि 900 वर्गफुट शिवहरे निवासी ओछापुरा हुकमसिंह पुत्र भगवानलाल हि 800 वर्गफुट जाति धाकड़ खुमाम का पुरा जितेन्द्र पुत्र मंगलिया हि 800 वर्गफुट जाति जाटव नि 0 चिन्नोनी मुकेश पुत्र रामस्वरूप वैश्य हि 1000 वर्गफुट नि 0 कैलारस सीताराम पुत्र रामजीलाल हि 1000 वर्गफुट जाति ब्रा 0 निवासी जौरा रंजीत सिंह पुत्र जयराम हि 2000 वर्गफुट जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी बाबूलाल पुत्र परमसुख जाति शिवहरे हि 1500 वर्गफुट रामा शाक्य पत्नी मनोजशाक्य हि 1000 वर्गफुट नि 0 आंतरी ओमप्रकाश पुत्र रामचरनलाल जाति ब्रा 0 नि 0 सुजर्मा हि 800 वर्गफुट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

PKA

7	83	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.104	शुशील दास सदगुरु सुवर्णदास जाति पारख कबीर साधु पता निवासी कबीर आश्रम रिठोनिया भूमिस्वामी।
कुल 07 सर्वे नं में अर्जित रकवा				1.152 है०	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्थान : मुरैना

दिनांक... 14/9/20

PK

Anurag Bami
(अनुराग बामी)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचि
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला मुरैना(म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्र मुद्रणालय म०प्र० भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. कलेक्टर, जिला-मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ, जिला-मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) उत्तर मध्य रेल, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार, परगना कैलारस की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन / चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला-मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड हेतु।




(अनुराग वर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचि
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला मुरैना(म०प्र०)